

न्यायालय – भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी


दा० खा० अपील वाद सं०– 03/2019-20


प्रथम पक्ष

– बहाल सिंह पिता स्व० जगरनाथ सिंह
ग्राम– तोरपा रोड, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

द्वितीय पक्ष

– 1. रिकी सिंह पिता स्व० महेन्द्र सिंह
2. पिकू सिंह पिता स्व० घनश्याम सिंह
ग्राम– कर्रा रोड, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।
3. फ्लोरेंसिया तिडू पति स्व० मेलसन सुरीन
ग्राम– बदरी चौक कटहलटोली, तोरपा रोड, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई										
25.01.21	<p>अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०–1053R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.19 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>खूँटी</td> <td>खूँटी 83</td> <td>63</td> <td>1508</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि बहाल सिंह खतियानी रैयत पखनु सिंह के खतियानी रैयत है। विपक्षी सं० 1. रिकी सिंह एवं 2. पिकू सिंह असली खतियानी रैयत नहीं है। विपक्षी सं० 1 एवं 2 गलत वंशावली दर्शाकर उक्त भूमि को विपक्षी सं० 3. फ्लोरेंसिया तिडू को बिक्री कर नामांतरण करा लिया है।</p> <p>विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि विपक्षी गण कम पढ़े-लिखे एवं उन्हें अपने पूर्वजों का कुर्सीनामा पूर्व में भलि भांति मालूम नहीं था और ना पैतृक जमीन-जायदाद के बारे में ही पता था। विपक्षी सं० 3 ने विपक्षी सं० 1 एवं 2 को बताया कि उपरोक्त भूमि उनके पूर्वज की है। और पैसे का लालच देकर बिक्री करा लिया। विपक्षी सं० 1 एवं 2 पुनः कथन करते है कि अपीलकर्ता बहाल सिंह के इस अपील वाद के स्वीकृत होने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गए कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया कि उक्त मामला उनके हक-अधिकार से संबंधित है।</p> <p>अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 25/01/21</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)	खूँटी	खूँटी 83	63	1508	0.10	
मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)								
खूँटी	खूँटी 83	63	1508	0.10								


25/01/21
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।